Madhya Pradesh State Biodiversity Board
मध्य प्रदेश राज्य जैवविविधता बोर्ड
26, Kisan Bhawan, Ist Floor, Arera Hills, Bhopal - 462011
26, किसान भवन, प्रथम तल, अरेरा हिल्स, भोपाल - 462011
Phone No. 0755-2554539, 2554549, 2764911, Fax. 0755-2764912
E-mail - mp_biodiversityboard@yahoo.co.in, Website : wwwmpsbb.nic.in and www.mpsbb.info

क्रमांक / जैविबो / स्टेनो / 2017 / 34 भोपाल, दिनांक 24.05.2017

आदेश

जैवविविधता अधिनियम, 2002, मध्यप्रदेश जैवविविधता नियम, 2004 तथा भारत शासन द्वारा अधिसूचित जैविक संसाधनों तक पहुंच और सहयुक्त जानकारी तथा फायदा बंटाना विनियम, 2014 के तहत जैव संसाधनों को वाणिज्यिक उपयोग हेतु अभिप्राप्त करने भारतीय व्यक्ति / संस्था / व्यापारी को जैवविविधता अनियम, 2002 की धारा 7 के अंतर्गत मध्यप्रदेश राज्य जैवविविधता बोर्ड कार्यालय से पूर्व अनुमति तथा जैवविविधता अधिनियम, 2002 की धारा 3 के अंतर्गत विदेशी व्यक्ति / संस्था / व्यापारी को राष्ट्रीय जैवविविधता प्राधिकरण से पूर्व अनुमोदन प्राप्त करना अनिवार्य है

भारत शासन की अधिसूचना क्रमांक 1639 दिनांक 17.09.2008 के तहत धारा 7 के उल्लंघन की दशा में मध्यप्रदेश राज्य जैवविविधता बोर्ड के समस्त अधिकारी जो कि वैज्ञानिक 'C' श्रेणी से अनिम्न न हो, को सम्पूर्ण मध्यप्रदेश में। भारत शासन की अधिसूचना क्रमांक 68 दिनांक 07.01.2009 अनुसार समस्त वन अधिकारी जो कि वन परिक्षेत्र अधिकारी से अनिम्न न हो, को अपने-अपने क्षेत्र में जैवविविधता अधिनियम, 2002 की धारा 61 (अ) के अंतर्गत शिकायत दर्ज करने के लिए प्राधिकृत किया गया है।

विगत 6 माह में बोर्ड द्वारा मुख्यालय एवं क्षेत्रीय स्तर पर अधिनियम से संबंधित जानकारी हेतु जागरूकता कार्यशालाओं के उपरांत जैवविविधता अधिनियम के उल्लंघन करने वाले व्यक्ति / संस्था / व्यापारी के विरूद्ध प्रकरण दर्ज होने लगे है।

अतः जैवविविधता अधिनियम, 2002 का क्षेत्रीय स्तर पर प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित हो सके तथा समय-समय पर मैदानी अधिकारियों द्वारा की जा रही कार्यवाही का बोर्ड द्वारा अनुश्रवण, मार्गदर्शन एवं समीक्षा करने हेतु मध्यप्रदेश राज्य जैवविविधता बोर्ड, भोपाल कार्यालय में तत्काल प्रभाव से **"मध्यप्रदेश जैवविविधता प्रवर्तन प्रकोष्ठ (Madhya Pradesh Biodiversity Enforcement Cell)"** की स्थापना की जाती है।

मध्यप्रदेश जैवविविधता प्रवर्तन प्रकोष्ठ (Madhya Pradesh Biodiversity Enforcement Cell) के प्रभारी सदस्य सचिव, मध्य प्रदेश राज्य जैवविविधता बोर्ड स्वयं होंगे। आदेश तत्काल प्रभाव से लागू।

(आर. श्रीनिवास मूर्ति)
सदस्य सचिव

पृ. क्र. / जैविबो / स्टेनो / 2017 / 878 भोपाल, दिनांक 24.05.2017

प्रतिलिपिः–

1. निज सचिव, मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन एवं अध्यक्ष, मध्यप्रदेश राज्य जैवविविधता बोर्ड की ओर सूचनार्थ। कृपया आदेश से मान. मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन को अवगत कराने हेतु प्रेषित,
2. समस्त शासकीय एवं अशासकीय सदस्य .... मध्यप्रदेश राज्य जैवविविधता बोर्ड,
3. अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
4. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, (मछुआ कल्याण एवं मत्स्य विभाग, किसान कल्याण तथा कृषि विकास, पशुपालन विभाग, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग), मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल,
5. प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख, मध्यप्रदेश, सतपुड़ा भवन, भोपाल
6. प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य वन विकास निगम, पंचानन, भोपाल
7. प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश लघुवनोपज संघ, 74 बंगला, खेल परिसर, भोपाल
8. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, (संरक्षण), कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, सतपुड़ा भवन, भोपाल
9. समस्त क्षेत्र संचालक, टाईगर रिजर्व व मुख्य वन संरक्षक, कूनो (वन्यप्राणी), ग्वालियर, संचालक, माधव राष्ट्रीय उद्यान, शिवपुरी
10. समस्त मुख्य वन संरक्षक, क्षेत्रीय वन वृत्त,
11. समस्त मुख्य वन संरक्षक, अनुसंधान एवं विस्तार,
12. संचालक, वन विहार, भोपाल,
13. समस्त वनमण्डलाधिकारी, क्षेत्रीय वनमण्डल / वनमण्डलाधिकारी (वन्यप्राणी) नौरादेही, सागर / वनमण्डलाधिकारी, कूनो श्योपुर,
14. समस्त उप संचालक, टाईगर रिजर्व, मध्यप्रदेश,
15. समस्त प्रबंधक, मध्यप्रदेश राज्य जैवविविधता बोर्ड,

    की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित। कृपया जैवविविधता अधिनियम, 2002, मध्यप्रदेश जैवविविधता नियम, 2004 तथा विनियम, 2014 अनुसार आपके अधिकारिता क्षेत्र में राष्ट्रीय जैवविविधता प्राधिकरण, चेन्नई (विदेशी व्यक्ति / संस्था) अथवा मध्यप्रदेश राज्य जैवविविधता बोर्ड की पूर्व अनुमति (भारतीय व्यक्ति / संस्था) के बिना जैव संसाधनों को वाणिज्यिक उपयोग हेतु अभिप्राप्त करने वाले भारतीय व्यक्ति / संस्था / व्यापारी के विरूद्ध जैवविविधता अधिनियम, 2002 की धारा 61 (अ) के अंतर्गत सक्षम न्यायालय में शिकायत दर्ज करें। शिकायत दर्ज करने से पूर्व इस कार्यालय की **"मध्यप्रदेश जैवविविधता प्रवर्तन प्रकोष्ठ (Madhya Pradesh Biodiversity Enforcement Cell)"** से आवश्यक मार्गदर्शन तथा समय–समय पर प्रकरण की प्रगति से इस कार्यालय को अवगत करावें।
16. आदेश प्रति।

सदस्य सचिव